भूदेव देवडा बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 244/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार मण्डल नरसिंहपुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र भांखरोटा सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 407/114, 404/112 की सेग्रीगेशन के समय की गई तरमीम गलत कर दी गई है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर का तकासमा के द्वारा तरमीम की गई थी, किन्तु ऑनलाईन नक्शे में तरमीम मुताबिक तकासमा एवं कब्जे काश्त के अनुसार नही की गई। अतः तकासमा नक्श फोटो प्रति एवं खसरा इम्पोज की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 407/114, 404/112 की तरमीम शुद्ध करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार मण्डल नरसिंहपुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र भांखरोटा सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 407/114, 404/112 की सेग्रीगेशन के समय की गई तरमीम गलत कर दी गई है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर का तकासमा के द्वारा तरमीम की गई थी, किन्तु ऑनलाईन नक्शे में तरमीम मुताबिक तकासमा एवं कब्जे काश्त के अनुसार नही की गई। अतः तकासमा नक्श फोटो प्रति एवं खसरा इम्पोज की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 407/114, 404/112 की तरमीम शुद्ध करने की कृपा करे। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की वाके ग्राम रामचन्द्रपुरा पटवार मण्डल नरसिंहपुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र भांखरोटा सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 407/114, 404/112 की तरमीम संशोधन यदि कोई अन्य आदेश से नही हुआ तो सेग्रिकेशन से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:12:33 IST
Reason: SelfAttested